न्यायालय तहसीलदार कठूमर (अलवर) राज॰

सरकार जरिये रिपोर्ट पटवारी हल्का अरूका बनाम धानसिंह, भूपसिंह पिं० रामस्वरूप जाट रानौता

प्रकरण अर्न्तगत धारा 91एलआर एक्ट

प्रकरण सँख्या :– 21/2022 निर्णय दिनाँक :– 20/6/22

पत्रावली प्रस्तुत हुई। प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है कि ग्राम रानौता की आ॰ख॰न॰ 112 कुल रकबा 3.00 किस्म जमीन गैं॰मु॰ में से 0.15 हैं० रकबे पर श्री धानसिंह, भूपसिंह पिं० रामस्वरूप जाट पर अनाधिकृत रूप से अतिक्रमण कर तलाई कब्जा कर लिया है। इस पर पटवारी हल्का अरूका द्वारा दिनाँक 6/5/22 को उसके विरूद्ध कानूनी कार्यवाही किये जाने की रिपोर्ट मय ताईद भू॰अ॰निरी॰ दारौदा के द्वारा प्रस्तुत किये जाने पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अतिक्रमी धानसिंह, भूपसिंह पिं० रामस्वरूप जाति जाट निवासी अरूका को भू॰ राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत नोटिस जारी किये गये नोटिस की तामील कराई गई। नोटिस बाद तामील प्राप्त होने पर शामिल पत्रावली किया गया। अतिक्रमी उपस्थित नहीं आया। जवाब नोटिस पेश किया जो शामिल पत्रावली है।

उक्त रकबवा आ॰ख॰न॰ 112 रकबा 3.00 हैं० में से 0.15 हैं० रकबे किस्म गैं॰मु॰ तलाई है जो नियमन के योग्य नहीं है लिहाजा गैरसायल को अतिक्रमित रकबे से बेदखल किया जाने के आदेश दिये जाते है एवं दण्ड स्वरूप लगान 2.79 का 50 गुणा 140/- रूपये पैनल्टी आरोपित की जाती है मांग कायमी हेतु टीआरए को लिखा जावे, पैनल्टी वसूली एवं बेदखली हेतु हल्का पटवारी अरूका भू॰अ॰निरी॰ दारौदा को लिखा जाकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

तहसीलदार
कठूमर, अलवर (राज॰)